रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2004/पौष 22, 1925

No. 42] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2004/PAUSA 22, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2004

(आय-कर)

का.आ. 48(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2004 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 के नियम 28कक के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"कतिपय व्यष्टियों की दशा में कर की कटौती न किए जाने का प्रमाणपत्र ।

28कख. (1) उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसा कोई व्यक्ति, जो—

(क) पूर्णतः पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय या समझी गई आय प्राप्त कर रहा है और जो धारा 11 या धारा 12 के अधीन छूट का दावा करता है ; या

(ख) जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, समाचार अभिकरण संगम या संस्था, निधि या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था या धारा 139(4ग) में निर्दिष्ट व्यापार संघ के संबंध में विवरणी फाइल करना अपेक्षित है ;

धारा 197 की उपधारा (1) के अधीन स्रोत से कर की कटौती किए बिना आय प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करने वाला प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपनियम (2) में निर्दिष्ट शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :–

(i) संबद्ध व्यक्ति ने ऐसे सभी निर्धारण वर्षों के लिए आय-कर की विवरणियां फाइल कर दी हैं, जिनके लिए उस तारीख को या उससे पूर्व ऐसी विवरणियां शोध्य हो गईं थी, जिसको उपनियम (1) के अधीन आवेदन किया जाता है ;

(ii) उपनियम (1) में निर्दिष्ट न्यास, वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, समाचार अभिकरण या संस्था, निधि या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था या व्यापार संघ तत्समय आय-कर से छूट के प्रयोजन के लिए अनुमोदित किया गया ; और

(iii) आवेदक ऐसे कटौतीकर्ताओं के, जिनसे स्रोत पर की कटौती किए बिना रकमें प्राप्त की जानी हैं, नाम, पते और प्राप्त रकम के साथ एक सूची प्रत्येक छह मास में देगा ।

(3) प्रमाणपत्र के लिए आवेदन नियम 28 के उपनियम (1) के अनुसार निर्धारण अधिकारी को किया जाएगा ।

(4) निर्धारण अधिकारी स्रोत पर कर की कटौती किए बिना आयों के संदाय को प्राधिकृत करने वाला प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उपनियम (2) में अधिकथित सभी शर्तें पूरी कर दी गई हैं और ऐसे किसी प्रमाणपत्र के जारी किए जाने से राजस्व की हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(5) आवेदक स्रोत पर कर की कटौती न किए जाने के प्रयोजन के लिए आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को उपनियम (4) के अधीन जारी प्रमाणपत्र की प्रतियां दे सकेगा ।

(6) प्रमाणपत्र उसमें विनिर्दिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए विधिमान्य होगा जब तक कि उसे निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी समय रद्द नहीं कर दिया जाता है ।

(7) नए प्रमाणपत्र के लिए आवेदन, यदि निर्धारिती ऐसी वांछा करे, पूर्व प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किया जा सकेगा ।

[अधिसूचना सं. 10/2004/फा. सं. 142/05/2004-टीपीएल]

दीपिका मित्तल, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3(ii), तारीख 26 मार्च, 1962 में का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किये गए थे और इनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 1335(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2003 के अधीन आय-कर (अठाईसवां संशोधन) नियम, 2003 द्वारा किया गया था।